बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

निविदा प्रपत्र (द्वितीय भाग वित्तीय विड)

निविदा आमन्त्रण की तिथि	: 13.02.2009	धरोहर धनराशि रू0	: 50,000/–
निविदा खोलने की तिथि	: 27.02.2009	कार्य का समय	: 1 वर्ष
निविदा का मूल्य	: रू0 2000/– + 12.50% व्यापार कर	निविदा की वैद्यता	: 1 वर्ष

विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक/शैक्षणिक भवनों, सड़को, आवासीय परिसर के सड़को आदि की सफाई कार्य हेतु दो भागों में निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं0	*कार्य स्थल* *कार्य का समय प्रातः 8:30 बजे से सांय 5:00 बजे तक*	*भवनों की क्षमता के अनुसार प्रतिदिन लगाये जाने वाले सफाई कर्मियों की संख्या स्वयं ठेकेदार द्वारा अंकित की जायेगी*
1	विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं शैक्षणिक परिसर की सड़कों एवं फुटपाथ तथा भवनों की आसपास की नालियेां की सफाई का कार्य (समस्त सफाई सामग्री के साथ)	
2	शैक्षणिक परिसर में निम्नलिखित भवनों की सफाई (समस्त अध्ययन कक्ष, कार्यालय कक्ष, प्रयोगशालायें, बरामदा, शौचालय, गैलरी में पौंछा आदि) का कार्य समस्त सफाई सामग्री के साथ कराना होगा। 1. गौतम बुद्धा पुरूष छात्रावास (पुराना) छात्रों के कक्षों सहित 2. समता पुरूष छात्रावास (नया) छात्रों के कक्षों सहित 3. फिजियोथिरैपी एवं एन.सी.सी. भवन 4. सामाजिक विज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा भवन 5. विधि संस्थान, पुराना एवं नया 6. प्रशासनिक भवन 7. आडीटोरियम में कार्यक्रमों के एक दिन पूर्व व पश्चात 8. पं0 रामनारायण शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान भवन 9. केन्द्रीय पुस्तकालय 10. विज्ञान भवन 11. वर्कशाप (कुल छः) 12. इंजीनियरिंग भवन 13. फार्मेसी 14. फूडटेक्नोलॉजी भवन 15. मइक्रोवायलाजी भवन 16. पत्रकारिता भवन एवं कैफेटेरिया 17. एम0बी0ए0 भवन 18. अर्थशास्त्र एवं वित्त भवन 19. लाइब्रेरी एण्ड इनफोरमेशन साइंस भवन 20. आई0टी0 भवन 21. भूगर्भ विज्ञान भवन 22. एल्युमिनाई भवन 23. इण्डोर स्टेडियम 24. यूटीलिटी भवन	

3	आवासीय परिसर की सड़कों एवं फुटपाथ तथा भवनों की आसपास की नालियेां की सफाई का कार्य (समस्त सफाई सामग्री के साथ) 1. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र 2. अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र 3. एनेक्सी भवन 4. कुलपति आवास 5. सी0पी0एम0टी0 भवन 6. झलकारीबाई शिक्षा भवन होम साइंस, डे केयर सेन्टर 7. सामुदायिक केन्द्र, शिक्षा संस्थान एवं प्रौढ़ सतत शिक्षा भवन 8. स्वास्थ्य केन्द्र एवं शापिंग कम्पलैक्स 9. झलकारीबाई महिला छात्रावास छात्राओं के कक्षों सहित 10. महिला छात्रावास (पुराना) 11. कार्यकारी महिला आवास 12. समता महिला छात्रावास 13. कुलसचिव आवास एवं वित्त अधिकारी आवास 14. भवनों के आसपास बनी नालियों की सफाई सप्ताह में एक बार करना अति आवश्यक है 15. आवासीय परिसर, कार्यालय परिसर में स्थित समस्त फाउण्टेनों के पोण्ड तथा स्वीमिंग पूल की सफाई प्रत्येक 15 दिन में अनिवार्य रूप से की जायेगी।	

1. प्रथम भाग तकनीकी विड में निविदादाता द्वारा कार्य अनुभव, गुणवत्ता, प्रमाण पत्र एवं निर्धारित चरित्र प्रमाण पत्रों के साथ निविदा सील बन्द लिफाफे में जमा करेंगे। प्रथम भाग के साथ धरोहर राशि का ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है परन्तु इसमें मासिक दरों का उल्लेख नहीं किया जायेगा। यदि प्रथम भाग में निविदादाता द्वारा दरों का उल्लेख किया जाता है तो निविदा अमान्य होगी।
2. द्वितीय भाग (वित्तीय विड) में निविदादाता द्वारा कार्यानुसार/ भवनवार स्वच्छ कर्मियों की संख्या एवं सामग्री सहित मासिक दरों का उल्लेख किया जायेगा। निविदादाता का नाम व पता दोंनो भागों में समान होना चाहिये एवं मुहरबन्द लिफाफों पर स्पष्ट लिखा जाना चाहिये।
3. उपर्युक्त समस्त भवनों, सड़को, फुटपाथों का भौतिक निरीक्षण करके ठेकेदार कुल सफाई कर्मियों की संख्या दर्शाते प्रथम भाग की निविदा जमा करेगा।
4. निविदा के द्वितीय भाग में उल्लेखित समस्त भवनों, सड़को, फुटपाथों की संतोषजनक एवं पूर्ण सफाई कार्य हेतु सामग्री सहित मैं रू0 .... (शब्दों में रू0.......................................) प्रति माह पर कार्य करने को तैयार हूँ।
5. धरोहर धनराशि का विवरण– बैंक ड्रा0 नं0 .... दि0 ....रू0 .... (शब्दों में रू0...) संलग्न है।
6. मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि यदि किसी संस्थान/कार्यालय में संतोषजनक सफाई नहीं होती है तो मेरे प्रति माह देयक से आवश्यक कटौती कर ली जाय मुझे आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

शर्तेः–

1. टेलीग्राफिक, सशर्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा।

2. निविदा के साथ रू0 100/– मात्र का स्टैम्प पेपर एवं रू0 1/– का रेवेन्यु स्टाम्प संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियमों के आवश्यक होने पर उसका पंजीकरण ठेकेदार को अपने स्वयं के खर्चे पर कराना होगा।
3. अधोहस्ताक्षरी को एक अथवा सभी निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
4. आयकर, स्टैम्प ड्यूटी की कटौती शासन के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
5. धरोहर धनराशि रू0 50000/– का Bank Draft वित्त अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के पक्ष में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. सभी श्रम कानून एवं अन्य सुविधाओं के लिये एजेन्सी स्वयं उत्तरदायी होगा तथा किसी भी रूप में यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व नही होगा।
7. सफाई कार्य समुचित प्रकार से नहीं किये जाने की दशाा में सक्षम अधिकारी/समिति की संस्तुति के आधार पर देयक से समुचित कटौती की जायेगी।
8. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र झाँसी होगा।
9. ठेकदार/फर्मो को सलाह दी जाती है कि निविदा दरें देने से पूर्व समस्त भवनों, सड़कों फुटपाथों आदि कार्यभार को देख लें, तत्पश्चात ही निविदा में दरें प्रस्तुत करें।
10. ठेकेदार द्वारा समय–समय पर सफाई कार्य उचित व निर्देशानुसार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से निर्धारित प्रारूप पर एक संविदा पूर्व करायी जायेगी, संविदा के अनुसार कार्य न करने की दशा में प्रस्तुत देयक से अनुपातिक कटौती की जा सकती है तथा संविदा भी निरस्त की जा सकती है। संविदा निरस्त होने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त हो जोयगी।
11. सफाई से सम्बन्धित समस्त सामग्री जैसे फिनाइल, एसिड, कुनैन आदि जो आवश्यक होगी, ठेकेदार द्वारा व्यय वहन किया जायेगा और ठेके की राशि में सम्मिलित मानी जायेगी। उक्त सामग्री अच्छी गुणवत्ता की एवं आई0एस0आई0 ब्रान्ड की होगी। टायलेट में प्रतिदिन एसिड का प्रयोग किया जायेगा एवं भवनों के फर्श पर प्रतिदिन दो बार फिनाइल से पौंछा लगाया जायेगा।
12. सफाई कार्य का प्रतिमाह बिल प्रस्तुत करते समय विभागों/संकायों के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्षों से संतोष जनक कार्य करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. ठेकेदार या उसके अधिकृत मजदूरों द्वारा वि0वि0 की किसी भी सम्पत्ति को कोई नुकसान नही पहुंचाया जायेगा ऐसा पाये जाने पर ठेकेदार व्यक्तिगत तौर से पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
14. किसी भी जनहानि या दुर्घटना की स्थिति में वि0वि0 किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होगा।
15. सभी भवनों की सीवेज लाइन /टैंक का रख–रखाव चौक बाथरूम आदि की सफाई कार्य का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
16. शैक्षणिक एवं आवासीय परिसर से इकठठा हुआ कूड़ा प्रतिदिन उठाकर विश्वविद्यालय परिसर से कम से कम एक किलोमीटर दूर नगर निगम द्वारा चिन्हित स्थानों पर डालना होगा।
17. भवनों में लगे मकड़ी के जाले एवं खिडकियों के सीसे आदि की सफाई सप्ताह में एक बार करना आवश्यक होगा।
18. सरकारी संस्थानों में सफाई से सम्बन्धित कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। सरकारी संस्थानों में सफाई कार्यो के अनुभव के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

सहा0 अभियन्ता

कुलसचिव